राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2991/2025

जसवन्त मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निबंधक (भू.अ.), राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. जिला कलेक्टर, चूरू।
5. जिला कलेक्टर, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2025
आदेश की दिनांक : 23.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/श्री अक्षय सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल अजीतसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2022 में पटवारी के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अजीतसर, सरदारशहर, चूरू से पटवार मण्डल, जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां किया गया। परंतु उक्त स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम जसवन्त मीना के बजाय यशवन्त मीना अंकित किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि पटवार मण्डल, अजीतसर, सरदारशहर, जिला चूरू में यशवन्त मीना नाम का कोई पटवारी नहीं है अपितु अपीलार्थी ही यशवन्त मीना पटवारी है परंतु टंकण त्रुटि के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। कार्यमुक्त न करने का सिर्फ एक

ही कारण है कि अपीलार्थी के नाम में टंकण त्रुटि होने के आधार पर टंकण त्रुटि है। इस प्रकार स्थानांतरण आदेश की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अपीलार्थी को पटवार मण्डल, जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां के लिये कार्यमुक्त किया जावे तथा आदेश दिनांक 02.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर पटवार मण्डल अजीतसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू में कार्यरत है। आदेश दिनांक 22.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री यशवन्त मीना, पटवारी को पटवार मण्डल, अजीतसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू से पटवार मण्डल, जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां स्थानांतरण किया गया है और आदेश दिनांक 21.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री यशवन्त मीना, पटवारी को तहसील कार्यालय सरदारशहर जिला चूरू में पदस्थापित होना अंकित है और इस प्रकार तहसील सरदारशहर में यशवन्त मीना नाम का पटवारी कार्मिक और कोई पदस्थापित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 में अपीलार्थी के नाम में टंकण त्रुटि हुई है और टंकण त्रुटि के आधार पर किसी कार्मिक को स्थानांतरण आदेश की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान पटवार मण्डल, जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां के लिये कार्यमुक्त किया जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष